[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2020 का विधेयक संख्यांक 29

[दि होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

5 (2) यह 24 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3क का संशोधन ।

73 का 59

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3क की उपधारा (2) में "दो वर्ष की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है। 2020 का अध्यादेश सं० 6

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1973 का 59

उदेश्यों और कारणों का कथन

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59), होम्योपैथी के शैक्षिक स्तर को विनियमित करने हेतु एक केन्द्रीय परिषद् का गठन करने, होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने का और उससे संबधित विषयों का उपबंध करता है।

2. चूकि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रही थी और वह केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जो होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय के स्तर को बचाने के लिए अपेक्षित है, अपने कर्तव्यों को करने में जानबूझकर सहयोग नहीं कर रही थी इसलिए केन्द्रीय सरकार को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अतिष्ठित करने और उक्त अधिनियम के अधीन एक वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए शासी बोर्ड का गठन करने हेतु सशक्त करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 23) द्वारा संशोधन किया गया था।

3. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्गठन नहीं किया जा सका था क्योंकि केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन करवाने के लिए राज्य होम्योपैथी रजिस्टर अद्यतन नहीं किए गए थे। अतः होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 11) द्वारा केन्द्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि को विद्यमान एक वर्ष से दो वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था ।

4. इस बीच में, सदस्यता के मुद्दों पर केन्द्रीय परिषद् के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने के लिए, महाविद्यालयों और होम्योपैथी में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञा देने वाले तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए और आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 को, प्रतिस्थापित करने और उसके अधीन स्थापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् को अतिष्ठित करने का प्रस्ताव किया था। तद्नुसार राज्य सभा में 7 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया गया था और 18, मार्च, 2020 को उस सदन द्वारा पारित कर दिया गया था। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 लोक सभा में विचारण और पारित किए जाने हेतु लंबित है।

5. चूंकि दो वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन नहीं किया जा सका था और केन्द्रीय परिषद् शैक्षणिक वर्ष, 2020-21 के लिए निरीक्षण करने की प्रक्रिया में थी इसलिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का, केन्द्रीय परिषद् के पुनर्गठन के लिए दो वर्ष की अवधि को तीन वर्ष तक विस्तारित करने के लिए और संशोधन करने की अपेक्षा थी। चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और इस संबंध मे अत्यावश्यक विधान की आवश्यकता थी इसलिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 24 अप्रैल, 2020 को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020, (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) प्रस्थापित किया गया ।

6. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि को दो वर्ष से तीन वर्ष तक विस्तारित करने का उपबंध करता है।

7. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

नई दिल्ली ;
27 जुलाई, 2020

श्रीपद नाइक

उपाबंध

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * * *

3क. (1) * * * *

केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय परिषद् अतिष्ठित करने और शासी बोर्ड के गठन की शक्ति ।

(2) धारा 3 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अतिष्ठित करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

* * * * *

MGIPMRND—407RS(CRC)—11 09 2020